निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 69) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
15 जनवरी 2026

सं0 एसीस–01/नि०–26/2014/57—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016"** में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:–

(1) यह नियमावली **"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–4 का प्रतिस्थापन।–उक्त नियमावली के नियम 4 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"4. संवर्ग का पदसोपान।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों एवं पदों के सोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।"

3. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"6. अर्हताएँ ।– इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ स्वास्थ्य विभाग के "बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ के समरूप होंगी।"

4. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–7 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"7. भर्त्ती की प्रक्रिया।– इस संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के "बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के समरूप होगी।"

5. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–8 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"8. परिवीक्षा अवधि।– नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रयोगशाला शिल्पिक को सेवामुक्त कर सकेगा।"

6. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के परिशिष्ट–1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"परिशिष्ट – 1"

[नियम– 2 (vi), 4, 13, द्रष्टव्य]

प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग का सोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	प्रयोगशाला शिल्पिक	
2.	प्रथम सोपान	प्रयोगशाला शिल्पिक पर्यवेक्षक	

नोट– इस संवर्ग के सभी कोटियों का कुल स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 जनवरी 2026

सं0 एसीस–01/नि०–26/2014–58, सं0 एसीस–01/नि०–26/2014–57 दिनांक 15 जनवरी 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 15th January 2026

No- ESIS-01/NI-26/2014/ 57—In excercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These 'Rules' may be called the **"Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Second Amendment) Rules, 2026"**

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of Publication in the official gazette.

2. Substitution of Rule-4 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016:- Rule 4 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"**4. Hierarchy of posts of Cadre-** Difference categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1. The Personnels regularly already appointed and working to the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre."

3. Substitution of Rule-6 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016:- Rule-6 the said Rules shall be substituted by the following:-

"**6. Qualifications-** The qualifications for appointment to this cadre shall be the same as those prescribed for appointment to the post of Laboratory Technician in the Health Department's "Bihar Laboratory Technician Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time)."

4. Substitution of Rule-7 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016:- Rule-7 the said Rules shall be substituted by the following:-

"**7. Recruitment-** The recruitment process in this category will be similar to the procedure prescribed for appointment to the post of Laboratory Technician in the Health Department's "Bihar Laboratory Technician Cadre Rules 2014 (as amended from time to time)."

5. Substitution of Rule-8 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016:- Rule-8 of the said rules shall be substituted by the following:-

"8. **Probation Period-** After appointment, the candidates shall be on probation. The probationary period will be one year. If the service during the probationary period is found unsatisfactory, it may be extended for another year for reasons to be recorded. If the service is not found unsatisfactory even during the extended period also, then the appointing Authority may terminate the service of such lab technician."

6. Substitution of Appendix-1 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016:- Appendix-1 of the said rules shall be substituted by the following:-

APPENDIX-1

[See rule 2 (vi), 4, 13]

Hierarchy of posts of Lab Technician Cadre

S. No.	Category	Name of Posts	Remarks
1.	Basic Category	Lab Technician	
2.	First ladder of Promotion	Lab Technician Supervisor	

Note:- The total sanctioned strength and pay scale/pay level for all grades in this category will be as determined by the government from time to time.

By the order of Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 69-571+50-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in

निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, 5–बी, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

ज्ञाप संख्या–एसीस–01 / नि०–26 / 2014 -176 पटना, दिनांक– 20-02-2026

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.26

अवर सचिव
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार